

that has been omitted. Anyway, that means that newspapers, out of fear or compulsion, are not doing their duty.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: They are free to report whatever they want. There is no question of privilege. It is up to them to see that it is reported as fairly as possible.

SHRI T. N. SINGH: No, Sir. There has been omission completely. What do you say for that?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is what I am saying—it is for them to see that it is as fairly reported as possible.

SHRI T. N. SINGH: There is a sloka in Durga Saptasathi.

दिवाब्धाः प्राणिनः कोचिद एवावन्धतास्थता
परे केचिद्विवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्य
दृष्टयः

It means that "some people are blind in the day; some are blind at night and others are blind during both day and night." This is what I feel—whether in this House or outside, some people seem to be blind.

I do not want to say anything.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1971 (To Amend Article 368)

—contd.

श्री हर्षदेव मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, जो विधेयक श्री भूपेश गुप्त द्वारा इस भवन के सम्मुख रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूँ क्योंकि यह विधेयक एक बहुत छोटी बात मानता है। भूपेश जी ने कहा है कि अगर इस सदन में और लोक सभा में किसी प्रश्न पर मतभेद हो तो उस प्रश्न को हल करने के लिए दोनों सदनों का एक संयुक्त अधिवेशन हो, और इस संबंध में मुझे एक बात याद आती है, जब प्रिवी पर्सन को बंद करने का प्रस्ताव लोक सभा में पारित होकर राज्य सभा में आया उस समय यहां पर सिर्फ 1/3

वोट से वह प्रस्ताव गिर गया और उसका ऐसा नीतीया हुआ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Malaviya, you are speaking on some other Bill; you are not speaking on this Bill.

श्री हर्षदेव मालवीय : आप मुझ से कुछ कह रहे हैं क्या ?

श्री उपसभापति : आप उस बिल पर नहीं बोल रहे हैं जो विचाराधीन है।

श्री हर्षदेव मालवीय : जी, नहीं। भूपेश गुप्त जी का ही तो बिल है।

श्री चक्रपाणि शुक्ल (मध्य प्रदेश) : नहीं, वे सजेस्ट कर रहे हैं कि वह नहीं है।

श्री हर्षदेव मालवीय : इसी बिल के अन्तर्गत यह बात आती है कि नहीं? आप वहाँ तो बैठ जाऊंगा साहब।

मैं उनके बिल का समर्थन करते हुए उसके उदाहरण में एक बात कहता हूँ। मेरा कहना यह है कि अगर यह अवसर पैदा नहीं होता तो यह बड़ी समस्या पैदा नहीं होती। सवाल यह है और हम को यह देखना है—मैं बहुत संक्षेप में एक मौलिक बात कहना चाहता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि इधर देश के सामने जो स्थितियाँ आई हैं और विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति के अन्तर्गत जो हमारे देश में स्थिति आई है, उससे देश के सम्मुख एक प्रश्न आ गया है। और वह प्रश्न यह आया है कि यह देश और इस देश की नीतियों में किस का फैसला होना चाहिये और किस का फैसला प्रमुख होना चाहिये? पिछले दिनों का अनुभव यह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी प्रगतिशील विधेयक या कानून आये हैं, उनको लेकर हमेशा जो हमारी अदालतें रही, उन अदालतों ने जनता के विरुद्ध फैसला दिया। हम इन विधेयकों द्वारा जनता की सेवा करना चाहते थे। कल ही बीड़ी वर्करी के सम्बन्ध में जो चीज हमने पास की है, 1966 में हमने इसी सम्बन्ध

[श्री हर्षदेव मालवीय]

में यानी बीड़ी वर्कर्स और सिगार वर्कर्स के सम्बन्ध में कोई कानून पास किया था, लेकिन उसको भी वहां रोक दिया गया और इस तरह से यह मामला 6-8 वर्षों तक लटका रहा। सवाल यह है कि इस समय हम क्या अपने देश में ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं कि इस सभा को, जिस को आप संसद् कहते हैं—राज्य सभा और लोक सभा—उसको संविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में मौलिक अधिकार होने चाहिये? क्योंकि समय बदल गया है, समाज का इतिहास बढ़ता है। समाज के इतिहास में कभी आदिम समाजवादी प्रथा थी, बाद में गुलामी की प्रथा आई, उसके बाद सामन्ती प्रथा आई और उसके बाद पूंजीवाद का युग संचार में आया। अब संसार में दूसरा युग आ गया है। अब संसार में इधर उधर परिवर्तन आ रहे हैं और वह एक समाजवादी प्रणाली की ओर जा रहा है। यह प्रणाली यह है कि जिस प्रकार से उत्पादन के तरीकों में तबदीली होती है, जिस प्रकार से समाज का उत्पादन-क्रम होता है सारे का सारा समाज जब मेहनत करता है, उत्पादन करता है, तो उसका स्वामित्व सारे समाज को मिलना चाहिये।

आज जो बड़ी विडम्बना है, वह विडम्बना यह है कि उत्पादन प्रणाली में सारा समाज हिस्सा लेता है, लेकिन उसका लाभ थोड़े ही मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है। यह जो राज्य सभा या लोक सभा है, जो संसदीय प्रणाली है, उसका मूल तत्व यह है कि हम जनता के प्रतिनिधियों को पूरा अधिकार दें। और अदालतों को अधिकार न रहे। अदालतों के जजों को अधिकार न रहे कि वह जब चाहे हमारे कानूनों को तबदील कर दें। जनता के प्रतिनिधि जिस चीज को स्वीकार करते हैं, उसको वे नामंजूर कर देते हैं। इसके सम्बन्ध में हमारी जो मांग है, वह यह है, संविधान में संशोधन करने के सम्बन्ध में अक्सर लोक सभा और राज्य सभा में जो अमेडिंग बिल आया

करते हैं, उनका मूल तत्व यह है कि जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार दिया जाये और उनको प्रभुत्व दिया जाये। इसके संबंध में एक बात कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था। इस समय वह कोटेशन मेरे पास नहीं है। उन्होंने एक बार कहा था कि हम जिस प्रकार के समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिस तरह का न्यायोचित समाज की स्थापना हम अपने देश में स्थापना करना चाहते हैं, उसकी हमारे दिमाग में जो कल्पना है वह एक नये भारत के बनाने की कल्पना है।

आज नये भारत को बनाने में हमको देखना पड़ेगा कि कुछ हितों में संघर्ष है। कुछ लोग हैं जो स्थिर स्वार्थ वाले हैं, जो परिवर्तन नहीं चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो परिवर्तन चाहते हैं, विशाल जनता चाहती है कि समाज में परिवर्तन हो। तो जब यह संघर्ष आता है और जब हमने आपस में तय कर लिया और हमारे देश ने सिद्धान्ततः एक चीज को स्वीकार कर लिया कि हम अहिंसा के जरिये से, शान्ति-पूर्ण तरीके से, संसदीय प्रणाली से ही नया समाज बनाना चाहते हैं, हम खून-खच्चर नहीं करना चाहते हैं, हम टोटलिटेरियन सिस्टम से काम नहीं करना चाहते हैं। जो समाजवादी तरीके हैं उनसे हम काम करना चाहते हैं, साम्यवादी तरीके को हम नहीं मानते हैं। अगर हम जनतांत्रिक तरीकों से चलना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम संविधान को वह शक्ति दें जिसको अंग्रेजी में कोईसिव प्रोसेस कहते हैं। हमारे संविधान को, हमारी राज्य सभा को, हमारी लोक सभा को, यह अधिकार होना चाहिए कि अगर आवश्यक समझें तो हम कानूनी तरीके से उन स्थिर स्वार्थ वालों को दबा सकें जो जनता के हितों के विरुद्ध काम करते हैं। यह बुनियादी बात है और यह बुनियादी बात हमको स्वीकार करनी पड़ेगी।

आज सारे देश के अन्दर अगर आप देखें तो मालूम होगा कि बुद्धिजीवियों और लोगों में एक बड़ी भारी भावना पैदा हो रही है कि हमको अपने संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस दल की तरफ से एक कमेटी भी बना दी है इस संविधान की समस्या पर विचार करने के लिए बहुत से सैमिनार हो चुके हैं, बहुत से देश के बुद्धिजीवी मिल चुके हैं, बहुत जगहों पर विवाद हो रहा है कि हमको संविधान में परिवर्तन करना चाहिए और वह परिवर्तन किस प्रकार का हो। मेरा निवेदन है कि हमें यह परिवर्तन लाना होगा जिसके अन्दर संसद् की प्रभुता को सबके ऊपर माना जाए। संसद् जो चीज पास कर दे, उसको आगे कोर्ट को, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो उसको देवना पड़ेगा। अब वह जमाना आ गया है जब कि हमको यह करना है और अपने देश के शान्तिपूर्ण विकास के लिए हमको यह करना पड़ेगा।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि श्री भूपेश गुप्त का जो बिल है वह इस दिशा की ओर एक कदम बढ़ाता है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) :
उप-सभा ति जी, मैं संक्षेप में दो तीन बातें कहना चाहता हूँ।

हमारी संसद् 3 भागों में विभक्त है। अकेले लोकसभा का नाम भी संसद् नहीं है। अकेले राज्य सभा का नाम भी संसद् नहीं है। अकेले राष्ट्रपति का नाम भी संसद् नहीं है। लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति इन तीनों को मिलाकर संसद् का निर्माण होता है। इसलिए कोई भी बात या कोई भी कानून जब जनता के हित के लिए बनता है तो उसको इन

तीनों ही भागों से निकलना पड़ता है। लोक सभा किसी चीज पर विचार करती है, फिर उस पर राज्य सभा और दूसरे ढंग से विचार करती है और उदारता के साथ और गम्भीरता के साथ निर्णय लेती है। तब राष्ट्रपति के पास वह विधेयक स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति की उस पर मुहर लगती है और वह संसद् का निर्णय कार्यान्वित होने के लिए चला जाता है।

ऐसे कई अवसर आये हैं कि जब लोक सभा ने उसे स्वीकृति दी और राज्य सभा की उस पर स्वीकृति न हुई। वह फिर लोक सभा के पास स्वीकृति के लिए चला गया। लेकिन लोक सभा ने फिर अपने स्टैंड को ज्यों का त्यों रखा तो फिर राज्य सभा के पास स्वीकृति के लिए वह आया। एक समय ऐसा भी हुआ, मैं उस समय लोक सभा का सदस्य था जब इस प्रकार का प्रकरण आया था और वह प्रकरण दहेज प्रथा के ऊपर था। लोक सभा ने दहेज प्रथा विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन राज्य सभा उससे सहमत नहीं हो सकी। फिर वह लोक सभा के पास गया। लोक सभा ने जिस रूप में इस विधेयक को पारित किया था, फिर उसके ऊपर लोक सभा ज्यों की त्यों अडिग रही। फिर राज्य सभा के पास वह आया। राज्य सभा ने भी अपने विचारों को ज्यों का त्यों रखा और लोक सभा और राज्य सभा में मतभेद की स्थिति आई तो उस पर एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। स्वतन्त्रता के बाद शायद पहला अवसर था जब लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक हुई थी। और संयुक्त अधिवेशन के अन्दर गम्भीरता से पर विचार किया गया और उस विधेयक को पारित किया गया। पर यह समय मैं बात नहीं आती कि जब संविधान में कोई संशोधन आये, उस समय इस प्रकार की स्थिति क्यों न आ जाये जब लोक सभा और राज्य सभा दोनों बैठकर किसी विषय पर विचार करें।

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

अभी माननीय हर्षदेव मालवीय जी ने एक बात की ओर संकेत किया कि इस समय देश में संविधान में संशोधन की चर्चा जोरों पर है। मैं स्वयं भी एक दो अवसरों पर इस प्रकार की चर्चा कर चुका हूँ कि संविधान में अवश्य ही संशोधन होना चाहिए। अभी कुछ समय पहले मैंने एक चर्चा की थी जिसको संक्षेप में फिर बहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार को या केन्द्र को मजबूत होना चाहिए इस प्रकार का प्रावधान हमारे संविधान में संशोधन करके किया जाए, चाहे नई संविधान सभा बुलाकर किया जाए या और कोई पद्धति लागू करके की जाए—जिससे राज्य सरकारें इतनी उच्छृंखल न हो जायें कि कभी वह संविधान में प्रदत्त उदारता का अनुचित लाभ उठा सकें। मैंने जिस समय यह बात कही थी, उस समय यह भी कहा था कि मैं केवल इस बात को भविष्य की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कहीं कहीं इस प्रकार की सुरसुराहट प्रारंभ हो गई है। इसलिए मैं इस बात को आवश्यक मानकर कह रहा हूँ कि इस देश को एकता के सूत्र में पिरोये रखने के लिए देश की अखंडता को कायम रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि केन्द्र मजबूत होना चाहिए। राज्य सरकारें एकदम इतनी स्वतंत्र न हो जायें कि केन्द्र के निर्णयों की भी अवहेलना करती चलीं जायें। उस समय मैंने कुछ उदाहरण भी दिये थे जिनको यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं।

इसी तरह से मैंने कहा था कि उच्च शिक्षा केन्द्र के हाथों में हो और बहुत सी चीजें, जैसे अन्तर्प्रान्तीय जल विवाद हैं ये केन्द्र के हाथ में रहें ताकि देश को आर्थिक दृष्टि से भी हानि न उठानी पड़े। परन्तु अब जो प्रश्न विचाराधीन है वह यह है कि संविधान में अगर कोई इस प्रकार के संशोधन की स्थिति आये कि जैसे लोकसभा के अन्दर एक विधेयक पारित हुआ, लेकिन राज्य सभा में उसको उतना

बहुमत नहीं मिल पाया तो यहां से वह विधेयक पारित नहीं हो पायेगा। श्री भूपेश गुप्त से मैं अधिकांश विषयों में अनहमत रहता हूँ, लेकिन यह जो विधेयक उन्होंने रखा है जिस पर खुले मस्तिष्क से यदि सदन विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या है? थोड़ा बैठकर इस की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि यह बात इस प्रकार की नहीं है जिसको स्वीकार न किया जा सके। आखिर लोक सभा जो जनता के सीधे मतों के द्वारा निर्वाचित होकर आती है तो राज्य सभा का भी उतना ही दायित्व है कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके चुने हुए प्रतिनिधि यहां पर आते हैं। अगर सदन एक साथ बैठकर किसी विषय पर खुले मस्तिष्क से विचार कर सके तो उसमें आपत्ति क्या हो सकती है? तो मैं समझता हूँ कि श्री भूपेश गुप्त ने सैद्धांतिक रूप से जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है, हो सकता है अभी विधि राज्य मंत्री उसको इस रूप में स्वीकार न करें लेकिन इस विधेयक पर इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपके अभी जो संविधान में परिवर्तन या संशोधन अपेक्षित हैं और बहुत सी बातों पर जो विचार किये जा रहे हैं राष्ट्र के आर्थिक विकास की दृष्टि से, सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से, उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी विचाराधीन कोटि में अवश्य रखा जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

SHRI D. P. SINGH (Bihar) : Sir, I welcome this proposal of Shri Bhupesh Gupta because this fulfils a really obvious lacuna in the provisions of the Constitution. Sir, somehow it has become a tendency with some people to take the Constitution very lightly and to take the Constitutional amendments also in a much lighter vein. The country has witnessed with distress that amendments to the Cons-

titution itself have been struck down by the courts. One can appreciate if an amendment to the Constitution has some innate capacity for the formulation of laws or for passing of orders which might not be palatable or which may not necessarily serve any public good and in those cases one can appreciate the anxiety of the courts and steps could be taken to see that vagaries are avoided. When an amendment to the Constitution is made, it would be ridiculous if it is struck down by the courts because this is in clear defiance of the language in article 368 of the Constitution which says that the procedures for amendment of the Constitution prescribed therein should be followed. The Constitution prescribes a certain procedure for voting in the Houses and for ratification by the States and that being the language the Constitution, the Constitution shall stand amended. Now, if it becomes a part of the Constitution, it is really difficult to understand how anybody would have the power to strike down that, in other words, the Constitution itself.

Supposing that amendment continues on the Statute Book that is in the Constitution for two years or a Judge himself takes oath to that Constitution. Now, it is a question, to which Constitution does he take the oath? Ultimately he strikes down that very Constitution. That, Sir, is a very, very insidious state of affairs and the sooner it is remedied the better, because it is not only in violation of the democratic traditions and all that but it is also contrary to jurisprudence, the known jurisprudence anywhere in the world. We have not known any parallel in the world where the Constitution itself can be subject to that kind of judicial review.

Sir, coming to this provision, we feel that such anomalies can happen. The Rajya Sabha itself has witnessed that by a split of a vote the conscious will of the majority, the conscious will of the electorate in the country, has been negated in the privy purses case. And that is a very distressing state of affairs; when the Lok Sabha passes, here by a split of a vote the whole wish of the people and the Parliament is negated. Sir, that kind of situa-

tion has got to be avoided. After all, when a provision is made where both Houses can sit together, then a decision after discussion on that point itself, when it is taken, will add to the sobriety and will add to bring about in clear perspective the wishes of the electorate. And by this provision we will have really removed a deficiency that has been overlooked at the time of framing the Constitution. It is very, very necessary to avoid an ugly situation.

Thank you, Sir.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Sir, I am very glad that Mr. Malaviya, and everybody who spoke, have supported this measure. After all, this Constitution (Amendment) Bill is meant to remove a lacuna in the Constitution. And it is so simple as has been stated by my friend, Mr. D. P. Singh. The two Houses are there; they are part of the Parliament. If one House, either this House or the other House, passes a Constitution (Amendment) Bill and if there is a difference between the two Houses, there is a deadlock as if we cannot pass any Constitution (Amendment) Bill. It means that you will have to wait till the composition of the House is changed—of one House or the other. Why should we accept that position? Supposing in the Lok Sabha a Bill is unanimously passed or by the majority, and here in this House by a split of a vote the Bill is not passed because the requirement of two-thirds majority of the Members present and voting is not fulfilled, it means that there will be no constitutional amendment. Why should we accept this position? I cannot understand. Sir, the Lok Sabha is far more representative in character than the Constituent Assembly which framed the entire Constitution. That was really not a Constituent Assembly in the sense of the term in which we have understood it. Actually that was elected by the Assemblies. The Assemblies had been elected in the 1946 election when the framing of the Constitution was no issue. At the Assembly elections, the franchise was not even 13 per cent. The Lok Sabha elections are based on universal adult franchise. It has the representation of much larger numbers than the Constituent Assembly had. In every respect, the Lok Sabha is

[Shri Bhupesh Gupta]

far more representative than the Constituent Assembly of India which framed the Constitution. That is one of the reasons why we did not accept the suggestion in the Golaknath case that if the Constitution were to be amended and the fundamental rights were to be abridged, there should be a Constituent Assembly. As I said, the Constituent Assembly was far less representative than the Parliament which has been given the constituent power by the Constitution under Article 368. Having given this power, what has happened? They have not provided for a situation when the deadlock between the two Houses may arise. I want to remove it.

All kinds of things are being said as far as the constitutional amendment is concerned. I must point out that recently a balloon was there advocating presidential system which has dissolved. Very good. Another balloon is circulating now. We have got a kind of leaflet which is a four-page leaflet. The leaflet is issued by an organisation called "Group for Fighting Foreign Subversion". It says that it is issued in support of the Prime Minister. It is printed by Excellent Printing Service, New Delhi. The address of the Group as given is 19/B, D.D.A. Flats, Rajouri Garden, New Delhi. The leaflet is priced at Re. 1/- though it contains only four pages. It is being distributed freely. Do you know what it says? It says:

"The defect in our system is that it makes our Prime Minister accountable to the Members of Parliament. The chosen leaders of the people should, in no case, be dependent on the support of the Members of Parliament. It is necessary that the power of the Members of Parliament to obstruct the leader should be curtailed immediately."

Wonderful thing! You had dissolved the idea of a presidential system. Here, this pamphlet is circulating the idea that there need not be any presidential system and let the Prime Minister be directly elected by the people and let the Prime Minister be not, in any way, accountable to the Members of Parliament. All kinds of things are said. Sir, it will be interesting to find out the person behind the

leaflet. You should find it out by investigation. Now, Sir, such ideas are spreading. We cannot leave anything in doubt.

Sir, recently, Mr. Mathew, a former Judge of the Supreme Court, delivered the Sapru Memorial Lecture on Democracy and Judicial Review. He made a very interesting remark there. He said: "For the most part, judicial reactions of the legislative acts have not been an exercise of learning, but of discretion." So, according to a former Judge of the Supreme Court, the interpretation of the 1 P.M. Constitution has been made on the basis not of legal learning, not strictly in terms of law, but according to the discretion. Sir, this is an impossible situation. Now, am I to understand that 13 Judges or 14 Judges of the Supreme Court will have.... Sir, you want to adjourn now? I will continue in the afternoon.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-three minutes past two of the clock, The Vice-Chairman (Shri V. B. Raju) in the Chair.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) Bill, 1971— (To amend Article 368)
—contd.

SHRI BHUPESH GUPTA: Sir, to resume the discussion on a Bill of this kind, which will lapse anyhow by the time the House adjourns, all I have to say is that I brought it forward to highlight a particular point, namely, the procedure for amending the Constitution. Now, Sir, I do not wish to say very much on the subject. The only thing that I should like to point out in this connection, as I was doing before the House adjourned, is that a former judge of the Supreme Court had made a very revealing statement in which he had said that judges decide constitutional issues more by discretion than by examining law. This is a very revealing state-